न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:— 27 / 2015

प्रविष्टि दिनांक:— 09—06—2015

लादूराम पुत्र नारायण जाति रेगर निवासी टोडारायसिंह तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.. .. प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह

...........प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज0ले0रे0 एक्ट 1956

उपस्थित: (1) श्री पवन कुमार जैन अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 13—05—2016

1— संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण का सार इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 97 रकबा 0—23 हे0 ग्राम लाडपुरा तहसील टोडारायसिंह पर प्रार्थी के पूर्वज / पिता का एवं उसके बाद प्रार्थी का 30 से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि / चाह का उसके पक्ष में नियमन किये जाने व उचित आदेश पारित किये जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिपक्षी की तलबी की गई एवं प्रार्थना पत्र के कम में तहसीलदार टोडारायसिंह से पेरावाईज टिप्पणी मंगवाई गई। टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

3— विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी से पहले उनके पूर्वज / पिता नारायण का सद्भावना पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिन्होने वर्षो पहले उक्त भूमि को काफी मेहनत करे काश्त योग्य बनाया था एवं भूमि की सिंचाई के लिए चाह का निर्माण करवाया था जो मौके पर मौजूद है। ख0नं0 97 के साबिक ख0नं0 5 / 1 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा था, उक्त भूमि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 11,12,13,10 रकबा 1.52 हे0 के अडवा स्थित है, ख0नं0 97 में स्थित प्रार्थी द्वारा बनाये हुए चाह से उक्त वर्णित भूमियां सिंचित होती है। प्रार्थी को उक्त भूमि व चाह से बेदखल नहीं किया है। पेनल्टीयां जमा करायी जाती रही है। उक्त वर्णित भूमि से पूर्व प्रार्थी के पिता को तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा बेदखल करने निर्णय पारित किया था जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 20.10.95 को अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर इनकी साक्ष्य लेकर, पटवारी हल्का के बयान लेकर आदेश / नियमन का आदेश पारित करें। प्रार्थी ने तहसीलदार टोडारायसिंह को उक्त भूमि / चाह के नियमन के संबंध में प्रार्थना पर देने पर भी मौके पर कोई जांच नहीं कर एवं कोई ध्यान दिये बिना नियमन का प्रकरण तैयार नहीं किया। जिसका प्रार्थी अधिकारी है। अत:

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तहसीलदार टोडारायसिंह को बाद जांच विवादित भूमि/चाह नियमन की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

4— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र पर धारा 54 राज0ले0रे0 एक्ट 1956 लागू नहीं होता है। यदि कोई भूमि बतोर अतिक्रमी पुराना कब्जा है तथा उसे नियमन/आवण्टन प्रार्थी करवाना चाहते है तो इस हेतु वरवक्त आवण्टन, आवण्टन कमेटी के समक्ष प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही करें। प्रा0 पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

5— हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आ0ख0नं0 97 रकबा 0—23 हे0 ग्राम लाडपुरा तहसील टोडारायसिंह पर प्रार्थी के पूर्वज/पिता एवं उसके बाद प्रार्थी का पुराना कब्जा होने से उसके पक्ष में भूमि/चाह के नियमन किये जाने व उचित आदेश पारित किये जाने हेतु प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि परं बरसो से प्रार्थी व उसके पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी को उक्त भूमि व चाह से बेदखल नहीं किया है, धारा 91 ले0रे0एक्ट के नोटिस उसे दिये जाते रहे है एवं पेनल्टी भी जमा करवायी जाती रही है। प्रार्थी के कब्जे काश्त का अंकन खसरा परिवर्तनशील में किया जाता रहा है। प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं की गई। न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.10.95 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। यद्यपि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार टोडारायसिंह को कई बार नियमन हेतु प्रार्थना पत्रों की प्रतियां संलग्न नहीं की गई है फिर भी न्यायिक दृष्टिकोण से अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6—. फलतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर वरवक्त आवण्टन कमेटी को मय साक्ष्य नियमन की प्रकियानुसार कार्यवाही करें।

7— निर्णय आज दिनांक 13.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner